

सार्वजनिक सूचना

यूईटी/पीईटी/एससीएस-2018 के आवेदकों के लिए आधार की आवश्यकता

यूईटी-2018/पीईटी-2018/एससीएस-2018 में ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में आधार के प्रावधान के संदर्भ में निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

- 1- यूईटी-2018/पीईटी-2018/एससीएस-2018 के आवेदकों द्वारा आधार का उपयोग किए जाने से उनके विवरण में प्रमाणिकता आएगी। इससे परीक्षा केन्द्रों पर आवेदकों की पहचान सुनिश्चित करने में भी आसानी होगी। आधार होने पर किसी आवेदक की पहचान को प्रमाणित करने के लिए कई दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2- आधार अधिनियम के प्रावधान तथा अधिनियम के अंतर्गत विनियम 14 सितम्बर, 2016 से प्रभावी हैं। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 57 इस संबंध में किसी कानून या किसी अनुबंध के अनुपालन के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने हेतु आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देता है।
- 3- तदनुसार, विश्वविद्यालय ने यूईटी-2018/पीईटी-2018/एससीएस-2018 के आवेदकों के लिए आधार का उपयोग करने का निर्णय लिया है और इस संदर्भ में एतद्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :

3.1 समस्त भारतीय आवेदकों के पास यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड होना चाहिए। यूईटी-2018/पीईटी-2018/एससीएस-2018 के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को अपनी आधार संख्या, नाम, जन्म-तिथि तथा लिंग संबंधी जानकारी देनी होगी जिसकी पुष्टि यूआईडीएआई के डाटा से की जाएगी। यदि ये विवरण आधार के डाटा से मेल नहीं खाते हैं तो आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आधार कार्ड का विवरण यथा - नाम, जन्म-तिथि तथा लिंग संबंधी जानकारी उनके स्कूल के दस्तावेजों के अनुसार सही हैं। इन विवरणों में किसी तरह की विसंगति होने पर आवेदक इन्हें तत्काल आधार कार्ड में ठीक करवाएं तथा नीचे दिए गए खण्ड 3.3 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

3.2 आवेदक जिन्होंने आधार हेतु नामांकन नहीं किया है, आधार अधिनियम की धारा-3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के पात्र आवेदकों को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदकों को आधार के

लिए नामांकन कराने हेतु आधार नामांकन केन्द्र (जिसकी सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाना होगा।

3.3 जिन आवेदकों ने आधार के लिए अपना नामांकन करवा लिया है किन्तु उन्हें अभी तक आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है अथवा जिन्होंने आधार संशोधन हेतु आवेदन किया है किन्तु उन्हें संशोधित आधार नहीं प्राप्त हुआ है उन्हें आवेदन करते समय आधार नामांकन पर्ची पर छपी 14 अंकों की आधार संख्या/ आधार अपडेट संख्या को स्लैश (/) के साथ दर्ज करना होगा।

3.4 जिन आवेदकों ने अपने आधार संबंधी विवरण की पुष्टि करने के बाद अपना आवेदन पत्र भरा है उन्हें परीक्षा केन्द्र पर अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए प्रवेश-पत्र के साथ आधार कार्ड को भी अनिवार्य रूप से लाना होगा। आधार कार्ड नहीं लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. उपरोक्त प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर, असम तथा मेघालय के उन निवासियों को छोड़कर जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, सभी आवेदकों पर लागू होंगे। जम्मू एवं कश्मीर, असम तथा मेघालय के ऐसे निवासी जिनके पास आधार संख्या नहीं है, उन्हें अपनी पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या या अन्य कोई भी वैध सरकारी पहचान पत्र (जिसमें कि इन राज्यों का पता दिया हो) संख्या दर्ज करनी होगी। इन आवेदकों को परीक्षा केन्द्र पर अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ वही दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा जिनका उन्होंने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है। उल्लिखित दस्तावेज नहीं लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उनका/उनकी पहचान संबंधी सूचना (आधार संख्या, नाम, अंगुली की छाप, आंखों की पुतली) का उपयोग केवल प्रमाणन के लिए किया जाएगा तथा उनके बायोमीट्रिक को न संग्रहीत किया जाएगा और न ही किसी के साथ साझा किया जाएगा तथा इसे केवल प्रमाणन हेतु सीआईडीआर के पास भेजा जाएगा।

कुलसचिव